भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5601
दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भेषज के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना

5601. श्री भर्तृहरि महताबः
श्री हरीभाई पटेलः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः
श्री नव चरण माझीः
श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः
श्री बिभु प्रसाद तराईः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम) और सक्रिय भेषज सामग्री (एपीआई) पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए थोक दवाइयों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है;

(ख) ग्रीनफील्ड परियोजना मॉडल के अंतर्गत उन इकतालीस अभिनिर्धारित उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताएं सफलतापूर्वक स्थापित की गई हैं;

(ग) हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में विकसित किए जा रहे तीन थोक दवाई पार्कों की राज्य-वार स्थिति क्या है और उनमें कौन-कौन सी सामान्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(घ) क्या भेषज के लिए पीएलआई योजना ने जैवभेषज, कॉम्प्लेक्स जेनरिक और पेटेंटशुदा दवाओं जैसी उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजनाओं के शुरू होने के बाद से कुल कितना संचयी निवेश आकर्षित किया गया है और भेषज क्षेत्र में वर्ष-वार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारम्भिक सामग्री (केएसएम) / औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को संवर्धित करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन

(पीएलआई) योजना (जिसे आमतौर पर "बल्क औषधियों के लिए पीएलआई योजना" के रूप में जाना जाता है) के भारत में कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

i. ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में ₹4,329.95 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धता की तुलना में दिसंबर 2025 तक ₹4,814 करोड़ का निवेश किया जा चुका है।

ii. पहचान किए गए 41 उत्पादों के लिए मूल रूप से परिकल्पित 82,270 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता की तुलना में 33 सब्सक्राइब किए गए उत्पादों के लिए कुल क्षमता 91,077 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है (41 उत्पादों की सूची अनुलग्नक में दी गई है)। इसके अलावा, दिसंबर, 2025 तक 28 महत्वपूर्ण केएसएम, डीआई और एपीआई के लिए 56,800 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की विनिर्माण क्षमता सृजित की गई है। इस योजना के परिणामस्वरूप ₹527.96 करोड़ के निर्यात सहित ₹2,720 करोड़ की संचयी बिक्री हुई है।

(ग): औषध विभाग एक योजना, अर्थात् बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन की योजना, को ₹3,000 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों में तीन बल्क औषधि पार्कों को मंजूरी प्रदान की गई है और वे संबंधित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इन पार्कों की कुल परियोजना लागत ₹6,306.68 करोड़ से अधिक है, जिसमें साझी अवसंरचना सुविधाओं के विनिर्माण के लिए प्रत्येक पार्क ₹1,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है। इन पार्कों में बल्क औषधि या एपीआई विनिर्माताओं के लिए पार्क में स्थापित इकाइयों हेतु रियायती दर पर भूमि और बिजली, पानी, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, भाप, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और मालगोदाम जैसी सुविधाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। संबंधित राज्यों की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों ने स्थिर पूंजी निवेश पर पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क से छूट आदि के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए हैं। इसके अलावा, इस योजना में पार्कों में भूमि आबंटन के लिए आवेदन करने वालों को बल्क औषधि के लिए पीएलआई योजना में प्राथमिकता प्राप्त उत्पादों के विनिर्माण के लिए इकाइयां स्थापित करने हेतु भूमि आबंटन में प्राथमिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

(घ): उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) का उद्देश्य औषध क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर तथा औषध क्षेत्र में उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को संवर्धित करना है और बायोफार्मास्यूटिकल्स, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक दवाएं, पेटेंट प्राप्त दवाएं या पेटेंट की समाप्ति के निकट वाली दवाएं, ऑटो-इम्यून दवाएं, कैंसर-रोधी दवाएं आदि जैसी उच्च मूल्य वाली दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

(ङ): उक्त योजनाओं की शुरूआत के बाद से औषध क्षेत्र में आकर्षित कुल संचयी निवेश और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या वर्ष-वार नीचे दी गई है:

	संचयी निवेश (करोड़ ₹ में) तक				**सृजित रोजगार के अवसर (संख्या) तक**			
	मार्च 2023	**मार्च 2024**	**मार्च 2025**	**दिसम्बर 2025**	**मार्च 2023**	**मार्च 2024**	**मार्च 2025**	**दिसम्बर 2025**
बल्क औषधियों के लिए पीएलआई योजना	2,374.93	3,721.44	4,554.25	4,814.10	2,163	3,538	4,490	4,896
औषध के लिए पीएलआई योजना	20,647	29,268	37,306.65	42,694.89	46,357	70,362	93,532	1,13,300

अनुलग्नक

दिनांक 27.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5601 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	बल्क औषधियों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत शामिल उत्पादों का नाम
1.	पेनिसिलिन जी
2.	7-एसीए
3.	क्लेवुलैनिक एसिड
4.	एरिथ्रोमाइसिन थायोसाइनेट (टीआईओसी)
5.	बीटामेथासोन
6.	डेक्सामेथासोन
7.	प्रेडनिसोलोन
8.	रिफैम्पिसिन
9.	क्लिंडामाइसिन बेस
10.	स्ट्रेप्टोमाइसिन
11.	टेट्रासाइक्लिन
12.	नियोमाइसिन
13.	जेंटामाइसिन
14.	पैरा एमिनो फीनोल
15.	1,1 साइक्लोहेक्सेन डायसेटिक एसिड (सीडीए)
16.	डाइसीएन्डिएमाइड (डीसीडीए)
17.	2-मिथाइल-5-नाइट्रो-इमिडाज़ोल (2-एमएनआई)
18.	मेरोपेनेम
19.	एटोरवास्टैटिन
20.	ओल्मेसर्टन
21.	वल्सार्टन
22.	लोसार्टन
23.	लेवोफ्लोक्सासिन
24.	सल्फाडायज़ीन
25.	ओफ़्लोक्सासिन
26.	नॉरफ्लोक्सासीन
27.	आर्टेसुनैट
28.	टेलमिसार्टन
29.	एस्पिरिन
30.	लेवेटिरासेटम
31.	कार्बिडोपा
32.	रिटोनावीर
33.	लोपिनवीर
34.	एसिक्लोविर
35.	कार्बामाज़ेपाइन
36.	ऑक्सकार्बाज़ेपाइन
37.	विटामिन बी 6
38.	लेवोडोपा
39.	विटामिन बी1
40.	डिक्लोफेनाक सोडियम
41.	सिप्रोफ्लोक्सासिन
